जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक– जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0(आर0कैम्प) / 793 / 2019 / दिनांक – 20 अगस्त, 2019

सेवा में,

अतिआवश्यक / समयबद्ध / अनुस्मारक

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

विषयः **संस्था / महाविद्यालय में अध्ययरत छात्र / छात्राओं की उपस्थिति "बायोमट्रिक उपकरण" से लगाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपय विश्वविद्यालय के पत्र सं0 जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0(आर0कैम्प) / 774 / 2019 / दिनांकः 13 अगस्त, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया के पत्रांक 403–06 / स0क0 / छात्रवृत्ति / 2019–20 दिनांक 08.08.2019 द्वारा जनपद में स्थित सभी संस्थाओं में अध्ययरत छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्य गणना हेतु सभी शिक्षण संस्थाओं में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिये गये थे।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2012 यथा संशोधन 2016 के नियम–6 उपनियम–XVIII में यह व्यवस्था की गयी है कि शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था सभी वर्ग के छात्रों पर लागू होगी।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि **"बायोमैट्रिक उपकरण"** दिनांक **31 अगस्त, 2019** तक स्थापित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया को प्रेषित की जा सके।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 कुलपति जी
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी
3. उप कुलसचिव को इस आशय से प्रेषित की उक्त पत्र को विश्वविद्यालय बेवसाइट एवं कालेज लाग–इन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव